इसे वेबसाईट **www.govtpressmp.nic.in** से भी डाउन लोड किया जा सकता है.

मध्यप्रदेश राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 228] भोपाल, मंगलवार, दिनांक 31 मई 2016—ज्येष्ठ 10, शक 1938

धार्मिक न्यास एवं धर्मस्व विभाग

मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

संशोधन

भोपाल, दिनांक 31 मई 2016

क्र. एफ-3-23-2016-छ:.—विभागीय आदेश क्रमांक 7-6-2007-छ:-1 दिनांक 4 दिसम्बर 2007 से पाकिस्तान स्थित हिंगलाज देवी मंदिर तथा ननकाना साहेब तीर्थयात्रा हेतु पाकिस्तान स्थित हिंगलाज देवी मंदिर ननकाना साहेब यात्रा नियम, 2007 प्रसारित किए गए थे, जिसकी कंडिका 4(2) में अनुदान राशि के संबंध में एवं 5 में अनुदान के भुगतान के संबंध में निम्नानुसार निर्देश थे :—

कंडिका 4(2)—"अनुदान प्राप्त करने के लिये प्रबंध संचालक, मध्यप्रदेश पर्यटन विकास निगम, भोपाल को आवेदन करना होगा एवं पर्यटन विकास निगम अभिलेखों की जांच के पश्चात् अनुदान राशि का भुगतान करेगा."

कंडिका 5—"अनुदान प्राप्त करने हेतु पात्र व्यक्ति तीर्थयात्रा उपरान्त अपने दावे निर्धारित प्रपत्र में प्रमाणित अभिलेख सहित प्रबंध संचालक, मध्यप्रदेश पर्यटन विकास निगम, भोपाल को यात्रा की समाप्ति के 60 दिवस की समयावधि में प्रस्तुत करेगा."

पूर्व प्रसारित उक्त आदेश दिनांक 4 दिसम्बर 2007 के नियम की उपरोक्त कंडिका 4(2) एवं 5 को विलोपित करते हुए निम्नानुसार कंडिका प्रतिस्थापित की जाती है :—

"अनुदान प्राप्त करने के लिये संबंधित जिला कलेक्टर, मध्यप्रदेश को आवेदन करना होगा एवं कार्यालय कलेक्टर अभिलेखों की जांच के पश्चात् अनुदान की राशि का भुगतान करेगा. अनुदान प्राप्त करने हेतु पात्र व्यक्ति तीर्थयात्रा उपरान्त अपने दावे निर्धारित प्रपत्र में प्रमाणित अभिलेख सहित संबंधित जिला कलेक्टर, मध्यप्रदेश को यात्रा समाप्ति के 60 दिवस की समयावधि में प्रस्तुत करेगा."

उक्त संशोधित नियम राजपत्र में प्रकाशित होने के दिनांक से प्रभावशील होंगे.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
मनोज श्रीवास्तव, प्रमुख सचिव.

संशोधन

भोपाल, दिनांक 31 मई 2016

क्र. एफ-3-23-2016-छ:.—विभागीय आदेश क्रमांक एफ-2-27-2011-छ:-1 दिनांक 16 दिसम्बर 2011 से श्रीलंका स्थित सीता मंदिर, अशोक वाटिका तथा अंकोरवाट मंदिर, कंबोडिया की तीर्थयात्राओं पर जाने हेतु श्रीलंका के सीता माता मंदिर, अशोक वाटिका तथा अंकोरवाट मंदिर कंबोडिया यात्रा नियम, 2011 प्रसारित किए गए थे, जिसकी कंडिका 5(2) में अनुदान के संबंध में और कंडिका 6 के अनुदान के भुगतान के संबंध में निम्नानुसार निर्देश थे:—

कंडिका 5(2)—"अनुदान प्राप्त करने के लिये प्रबंध संचालक, मध्यप्रदेश पर्यटन विकास निगम, भोपाल को आवेदन करना होगा एवं पर्यटन विकास निगम अभिलेखों की जांच के पश्चात् अनुदान राशि का भुगतान करेगा."

कंडिका 6—"अनुदान प्राप्त करने हेतु पात्र व्यक्तियों द्वारा तीर्थयात्रा उपरान्त अपने दावे निर्धारित प्रपत्र में प्रमाणित अभिलेख सहित प्रबंध संचालक, मध्यप्रदेश पर्यटन विकास निगम, भोपाल को यात्रा समाप्ति के 60 दिवस की समयावधि में प्रस्तुत करना होगें."

पूर्व प्रसारित उक्त आदेश दिनांक 16 दिसम्बर, 2011 के नियम की उपरोक्त कंडिका 5(2) एवं 6 को विलोपित करते हुए निम्नानुसार कंडिका प्रतिस्थापित की जाती है :—

"अनुदान प्राप्त करने के लिये संबंधित जिला कलेक्टर, मध्यप्रदेश को आवेदन करना होगा एवं कार्यालय कलेक्टर अभिलेखों की जांच के पश्चात् अनुदान की राशि का भुगतान करेगा. अनुदान प्राप्त करने हेतु पात्र व्यक्ति तीर्थयात्रा उपरान्त अपने दावे निर्धारित प्रपत्र में प्रमाणित अभिलेख सहित संबंधित जिला कलेक्टर, मध्यप्रदेश को यात्रा समाप्ति के 60 दिवस की समयावधि में प्रस्तुत करेगा."

उक्त संशोधित नियम राजपत्र में प्रकाशित होने के दिनांक से प्रभावित होंगे.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
मनोज श्रीवास्तव, प्रमुख सचिव.

संशोधन

भोपाल, दिनांक 31 मई 2016

क्र. एफ-3-23-2016-छ:.—विभागीय आदेश क्रमांक एफ. 2-1-2013-छ:-1 दिनांक 4 अक्टूबर, 2014 द्वारा सिन्धु दर्शन तीर्थ यात्रा पर जाने हेतु भारत के लद्दाख स्थित सिन्धु दर्शन यात्रा नियम-2014 प्रसारित किए गए थे, जिसकी कंडिका 4(2) में अनुदान के भुगतान के संबंध में निम्नानुसार निर्देश थे:—

कंडिका 4(2)—"अनुदान प्राप्त करने हेतु पात्र व्यक्ति तीर्थयात्रा उपरान्त अपने दावे निर्धारित प्रपत्र में प्रमाणित अभिलेख सहित प्रबंध संचालक, मध्यप्रदेश पर्यटन विकास निगम, भोपाल को यात्रा समाप्ति के 60 दिवस की समयावधि में प्रस्तुत करेगा."

पूर्व प्रसारित उक्त आदेश दिनांक 4 अक्टूबर 2014 के नियम की उपरोक्त कंडिका 4(2) को विलोपित करते हुए निम्नानुसार कंडिका प्रतिस्थापित की जाती है :—

"अनुदान प्राप्त करने के लिये संबंधित जिला कलेक्टर, मध्यप्रदेश को आवेदन करना होगा एवं कार्यालय कलेक्टर अभिलेखों की जांच के पश्चात् अनुदान की राशि का भुगतान करेगा. अनुदान प्राप्त करने हेतु पात्र व्यक्ति तीर्थयात्रा उपरान्त अपने दावे निर्धारित प्रपत्र में संबंधित जिला कलेक्टर, मध्यप्रदेश को यात्रा समाप्ति के 60 दिवस की समयावधि में प्रस्तुत करेगा."

उक्त संशोधित नियम राजपत्र में प्रकाशित होने के दिनांक से प्रभावशील होंगे.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
मनोज श्रीवास्तव, प्रमुख सचिव.

संशोधन

भोपाल, दिनांक 31 मई 2016

क्र. एफ-3-23-2016-छः.—विभागीय आदेश क्रमांक एफ-8-1-2006-छः-1 दिनांक 6 जून 2006 से कैलाश मानसरोवर तीर्थयात्रा हेतु कैलाश मानसरोवर तीर्थ यात्रा नियम, 2006 प्रसारित किए गए थे, जिसकी कंडिका 4(2) में अनुदान राशि के संबंध में एवं कंडिका 5 में अनुदान के भुगतान के संबंध में निम्नानुसार निर्देश थे :—

कंडिका 4(2)—"अनुदान प्राप्त करने के लिये प्रबंध संचालक, मध्यप्रदेश पर्यटन विकास निगम, भोपाल को आवेदन करना होगा एवं पर्यटन विकास निगम अभिलेखों की जांच के पश्चात् अनुदान राशि का भुगतान करेगा."

कंडिका 5—"अनुदान प्राप्त करने हेतु पात्र व्यक्ति तीर्थयात्रा उपरान्त अपने दावे निर्धारित प्रपत्र में विदेश मंत्रालय द्वारा प्रमाणित अभिलेख सहित प्रबंध संचालक, मध्यप्रदेश पर्यटन विकास निगम, भोपाल को यात्रा समाप्ति के 60 दिवस की समयावधि में प्रस्तुत करेगा."

पूर्व प्रसारित उक्त आदेश दिनांक 6 जून 2006 के नियम की उपरोक्त कंडिका 4(2) एवं 5 को विलोपित करते हुए निम्नानुसार कंडिका प्रतिस्थापित की जाती है :—

"अनुदान प्राप्त करने के लिये संबंधित जिला कलेक्टर, मध्यप्रदेश को आवेदन करना होगा एवं कार्यालय कलेक्टर अभिलेखों की जांच के पश्चात् अनुदान की राशि का भुगतान करेगा. अनुदान प्राप्त करने हेतु पात्र व्यक्ति तीर्थयात्रा उपरान्त अपने दावे निर्धारित प्रपत्र में विदेश मंत्रालय द्वारा प्रमाणित अभिलेख सहित संबंधित जिला कलेक्टर, मध्यप्रदेश को यात्रा समाप्ति के 60 दिवस की समयावधि में प्रस्तुत करेगा."

उक्त संशोधित नियम राजपत्र में प्रकाशित होने के दिनांक से प्रभावशील होंगे.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
मनोज श्रीवास्तव, प्रमुख सचिव.

नियंत्रक, शासकीय मुद्रण तथा लेखन सामग्री, मध्यप्रदेश द्वारा शासकीय केन्द्रीय मुद्रणालय, भोपाल से मुद्रित तथा प्रकाशित—2016.